


(50)

(97)

न्यायालय श्रीगंगानगर राजस्व बण्डन गवालियर कैम्प कोर्ट रीवा म.प्र.



Rs. 20/-

1. कृष्ण निवास सिंह,
2. देव निवास सिंह तनय स्व. विष्णुनिवास सिंह,  
दौनी निवासी ग्राम बुडवा तक्कीन रायपुर कर्चुलियान जिला  
रीवा म.प्र.

.....निगरानीकरा

बताए

1. श्रीराज सिंह तनय स्व. विष्णुनिवास सिंह,
2. नारज सिंह तनय स्व. विष्णुनिवास सिंह,
3. कमलेशचरी सिंह पत्नी स्व. विष्णुनिवास सिंह,

सभी निवासी ग्राम बुडवा तक्कीन रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म.  
अधिकारी की अधिकारी गांव  
बुडवा तक्कीन रीवा, म.प्र. 2012

.....गैरनिगरानीकरा

निगरानी विस्तृत अदिशा दिनांक- 21.05.

2012 प्रकरण क्रमांक- 11-अ/27/2009-10

न्यायालय अनुचिभागीय अधिकारी तक्कीन  
रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म.प्र.,

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. मु राजर  
संवित्त 1959 इ.

मान्यवर,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश रवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्रो—R.2873-II/12

जिला—रीवा

कृष्णनिवास सिंह/ धीरज सिंह व अन्य

(1)

(2)

(3)

20.07.17

1. प्रकरण प्रस्तुत।
2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत लगाता कई पेशियों से उपस्थित नहीं है। आवेदक द्वारा अनावेदकेगण की तलवी हेतु तलवाना भी जमा नहीं किया गया है।
3. चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा—35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।
4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।

सदस्य